

।। महानिदेशालय कारागार राजस्थान जयपुर।।

:: दिनांक 30.07.2019 को सम्पन्न हुई बंदी खुला शिविर समिति की बैठक का कार्यवाही  
विवरण ::

राजस्थान कैदी खुला शिविर नियम 1972 के अंतर्गत गठित बंदी खुला शिविर समिति की बैठक दिनांक 30.07.2019 को महानिदेशक एवं महानिरीक्षक कारागार राजस्थान, जयपुर की अध्यक्षता में आयोजित की गई, जिसमें निम्नांकित अधिकारीगण उपस्थित हुये :-

- |    |  |            |
|----|--|------------|
| 1. | श्री विक्रम सिंह<br>महानिरीक्षक कारागार—द्वितीय<br>राजस्थान, जयपुर।                              | सदस्य      |
| 2. | श्री विकास कुमार.<br>उप महानिरीक्षक कारागार<br>रेंज, जयपुर।                                      | सदस्य सचिव |
| 3. | श्री कैलाश चन्द<br>उप शासन सचिव,<br>गृह (ग्रुप-12) विभाग<br>राजस्थान, जयपुर।                     | सदस्य      |
| 4. | श्री सत्यपाल जांगिड़,<br>सहायक निदेशक,<br>सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग;<br>राजस्थान, जयपुर। | सदस्य      |

बैठक में कुल 100 बंदियों के प्रकरणों पर विचार किया, जिनका विवरण निम्नानुसार है :-

क्र.सं.	बंदी का नाम मय वल्दियत	जेल का नाम, जहां बंदी सजा भुगत रहा है।	गृह जिला	विशेष विवरण
1.	2.	3.	4.	5.
1.	शिवलाल पुत्र उकाजी	के.का. जोधपुर	सिरोही	—
2.	शहजाद खॉ पुत्र लियाकत खॉ	के.का. जोधपुर	नागौर	—
3.	गाबू पुत्र लक्ष्मण	के.का. भरतपुर	करौली	—
4.	रामगोपाल पुत्र नाथुलाल	के.का. जोधपुर	मंदसौर (म.प्र.)	—
5.	भूरिया पुत्र प्रभु	के.का. कोटा	प्रतापगढ़	—

